

पत्रांक:

दिनांक:

सेवा में,

श्री/सुश्री/श्रीमती : **Name**

JSLPS द्वारा चयन प्रक्रिया हेतु निर्गत Roll No.: **Roll No.**

जन्म तिथि :

पिता/पति का नाम :

अधिवास जिला :

विषय:- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत सामुदायिक संगठनों के सशक्तिकरण हेतु सामुदायिक समन्वयक-प्रशिक्षु (Community Coordinator-Trainee) के रूप में सेवा देने के लिए अनुबंध नियुक्ति हेतु प्रस्ताव पत्र।

श्री/सुश्री/श्रीमती **Name**,

जे0एस0एल0पी0एस0 (JSLPS) द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या-PR172390(JSLPS)17-18 के आलोक में, सामुदायिक समन्वयक-प्रशिक्षु के रूप में सेवा देने के लिए इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है। हर्ष के साथ आपको सूचित किया जाता है कि संबंधित चयन प्रक्रिया में आप सफल रहे हैं। इस क्रम में आपको सामुदायिक समन्वयक-प्रशिक्षु के रूप में सेवा देने हेतु आमंत्रित किया जा रहा है। आपकी सेवा दीनदयाल अन्वयोदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत **District Mapped** जिले के किसी भी प्रखंड में गाँव/संकुल स्तर पर ली जाएगी। संदर्भित विज्ञापन के अनुसार सामुदायिक समन्वयक-प्रशिक्षु के पद हेतु अपेक्षित कार्य विवरणी निम्नवत है:

1. आप राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जे0एस0एल0पी0एस0(JSLPS)के साथ जुड़कर निर्धारित निर्देशों के अनुरूप सामुदायिक संगठनों के विस्तार और उत्थान हेतु अपनी सेवाएं देंगे।
2. सामुदायिक समन्वयक-प्रशिक्षु को समुदाय के साथ मिलकर निर्धारित गांवों के विकास से संबंधित कार्य करना है।
3. गाँव में रहते हुए गाँव के गरीबों को चिन्हित करना एवं उनको स्वयं सहायता समूह एवं ऊपर के संगठनों (ग्राम संगठन/संकुल स्तरीय संगठन/उत्पादक समूह/उत्पादक संस्था) के रूप में संगठित करने का कार्य करना है।
4. उनको वित्तीय समावेशन एवं वित्तीय संस्थाओं के साथ जोड़ते हुए सामुदायिक संगठनों का क्षमता वर्धन करने का कार्य करना है।
5. आजीविका के विभिन्न संसाधनों के साथ गाँव के लोगों को जोड़ने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना।
6. गाँव स्तर पर विभिन्न पंचायती राज संस्थानों एवं अन्य सरकारी कार्यक्रमों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सामाजिक उत्थान का कार्य करना है।
7. समूह स्तर, गाँव स्तर तथा व्यक्तिगत प्रपत्रों का समय अपने रिपोर्टिंग अधिकारी को ससमय समर्पित करना।
8. रिपोर्टिंग पदाधिकारी द्वारा निर्देशित अन्यान्य कार्य को सम्पादित करना।

सर्वप्रथम, आपको दिनांक **DOJ** 09:30 बजे को नीचे दिए गए पते पर उपस्थित होकर एक दिवसीय योगदान सत्र में आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही हेतु सम्मिलित होना होगा।

वेन्यु

इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आपको निम्न दस्तावेजों की मूल प्रति तथा उसकी एक छाया प्रति को स्व- अभिप्रमाणित करते हुए लेकर उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

1. चयन प्रक्रिया हेतु जारी किया गया प्रवेश-पत्र (एडमिट-कार्ड)
2. निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के मूल एवं अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
3. सक्षम अधिकारी से निर्गत जाति प्रमाण पत्र/विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि संबंधित श्रेणी में आरक्षण का लाभ लिया गया है)।
4. सक्षम अधिकारी से निर्गत निवास प्रमाण पत्र।
5. स्वयं के 6 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो।
6. फोटो युक्त पहचान पत्र (ज़ाइविंग लाइसेंस/आधार/वोटर आई डी/पैन कार्ड)
7. परिवार में आश्रित व्यक्तियों (केवल पति/पत्नी, पिता, माता, दो बच्चे) के एक-एक व्यक्तिगत पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, सभी के जन्म तिथि प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी सहित।
8. स्वयं के नाम के बचत खाते के प्रथम पृष्ठों की छायाप्रति जिसमें खाता संख्या और आईएफएससी कोड स्पष्ट दिख रहा हो।
9. स्वयं का डॉक्टर द्वारा प्रमाणित स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र एवं ब्लड ग्रुप रिपोर्ट मूल प्रति में।

ध्यान रखें, पूर्व पृष्ठ में अंकित दस्तावेजों के मूल एवं स्व-अभिप्रमाणित छाया-प्रति के बिना आपकी उपस्थिति मान्य नहीं होगी। अगर आप निर्धारित तिथि को अपनी उपस्थिति नहीं देते हैं तो, यह माना जाएगा कि आप सेवा के लिए इच्छुक नहीं हैं। आपकी जगह मेरिट लिस्ट के अगले प्रतिक्षारत योग्य अभ्यर्थी को सेवा देने हेतु मौका दिया जायेगा। जिलावार प्रकाशित परीक्षाफल में औपबन्धिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों को उपरोक्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति एवं छायाप्रति के सफल सत्यापन के उपरांत ही योगदान की प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा।

जारी.....

आजीविका मिशन के सिद्धांतों के अनुरूप आपकी सेवा प्रारम्भिक दौर में अनुबंध के आधार पर जे0एस0एल0पी0एस0 (JSLPS) द्वारा ली जाएगी और कालांतर में निर्धारित योजनाानुरूप इसे सामुदायिक संगठनों को हस्तांतरित कर दी जाएगी। वर्तमान में आपकी सेवा जे0एस0एल0पी0एस0 (JSLPS) के मानव संसाधन, प्रशासनिक एवं वित्तीय नियमानुसार निर्धारित होगी। विदित हो, झारखण्ड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (JSLPS) एक स्वायत्तशासी संस्थान है। JSLPS की मानव संसाधन नियमावली, वित्तीय नियमावली एवं प्रशासनिक प्रक्रिया सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत है। सामुदायिक समन्वयक –प्रशिक्षु हेतु सेवा शर्तें इसी नियमावली द्वारा निर्धारित होगी। मानदेय निम्नवत रहेगा:-

1. मानदेय :

- (क) प्रारंभिक 6 माह की प्रशिक्षण अवधि के दौरान एकमुश्त मानदेय रू0 8,500/- प्रतिमाह देय होगा। साथ ही रूपये 1,000/- प्रतिमाह यात्रा भत्ता एवं दूरसंचार भत्ता के रूप में देय होगा।
- (ख) छः माह की प्रशिक्षण अवधि के उपरांत कार्य मूल्यांकन में सफल पाये जाने पर इस पद के लिए मासिक वेतन रूपये 10,500/- देय होगा। साथ ही जे0एस0एल0पी0एस0 की मानव संसाधन नियमावली के अनुरूप अन्य भत्ते लागू होंगे।
2. **सेवा शर्तः** प्रारंभिक नियुक्ति छः महीने हेतु प्रशिक्षु के तौर पर की जाएगी। छः माह की प्रशिक्षण अवधि के दौरान किये गये कार्यों का मूल्यांकन तथा परियोजना की आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षण अवधि सहित, कुल 3 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है। अनुबंध अवधि को मिशन की आवश्यकता बजट की उपलब्धता, कार्य प्रदर्शन का मूल्यांकन अथवा अन्य नीतिगत निर्णयों के परिपेक्ष्य में घटाया भी जा सकता है।
3. **अवकाशः** प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 36 वार्षिक अवकाश कार्य-दिवस अनुपातिक मान्य होगा, जो सभी उद्देश्यों के लिए जे0एस0एल0पी0एस0 के मानव संसाधन नियमावली के नियम एवं शर्तों के तहत उपभोग किया जा सकता है।
4. **यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता**—जे0एस0एल0पी0एस0 के मानव संसाधन नियमावली के तहत अपने मुख्यालय से बाहर के यात्रा के लिए लेवल-8 के अनुरूप नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता मान्य होगा।
5. बिना अपने नियंत्री पदाधिकारी को सूचित किये 5 या इससे ज्यादा दिन की अनुपस्थिति के आधार पर जे0एस0एल0पी0एस0 के मानव संसाधन नियमावली के तहत अनुशासनात्मक कारवाई करते हुए सेवा तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।
6. प्रशिक्षण अवधि के दौरान कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर तत्काल प्रभाव से चयन रद्द किया जा सकता है। सेवा सम्पुष्टि के उपरांत, नौकरी छोड़ने या अनुबंध समाप्ति की स्थिति में दोनों पक्षों से एक माह का पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार कारवाई की जाएगी।
7. **कर्मचारी आचार संहिता:**
 - (क) जे0एस0एल0पी0एस0 के कर्मचारी संस्थान के लिए दूत होते हैं। इस प्रकार, उनका दायित्व है कि वे निजी एवं सार्वजनिक जीवन में स्वयं नैतिक एवं ईमानदार रूप से व्यवहार करें और हर समय जे0एस0एल0पी0एस0 एवं इसके हितधारकों के सर्वोत्तम हित में कार्य करें।
 - (ख) अनुशासन : जे0एस0एल0पी0एस0 अपने कर्मचारियों से अनुशासन, अनुकरणीय पेशेवर आचरण और जिम्मेदारी की उम्मीद करता है। उपस्थिति, कार्यों में ससमय और पेशेवर प्रदर्शन, संगठन एवं परिसम्पत्तियों के प्रबंधन में और संगठन के लोगों द्वारा हितधारकों से व्यवहार स्थापित करने के क्रम में अनुशासन की पालना करने की अपेक्षा रखता है।
 - (ग) कार्य में किसी भी स्तर पर वित्तीय अनुशासनहीनता, यौन उत्पीड़न, पक्षों की जुटाव, राजनीतिक सम्बद्धता, भेदभाव, परिसम्पत्तियों को नुकसान पहुंचाने की शिकायत प्राप्त होने पर अनुबंध को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जायेगा एवं विधि सम्मत कारवाई की जाएगी।
 - (घ) नौकरी के अन्य नियम एवं शर्तें पूरी तरह से जे0एस0एल0पी0एस0 के मानव संसाधन नियमावली के तहत लागू होंगी। इसमें यदि कोई बदलाव होता है तो उस संबंध में पूरी जानकारी रखने की जिम्मेदारी आपकी ही होगी।

उपरोक्त शर्तों की मंजूरी की दशा में निर्धारित स्थान और तिथि को उपस्थित होते हुए इस पत्र की एक फोटोकॉपी अपने हस्ताक्षर के साथ जमा कराए। इस पत्र की वास्तविक प्रति योगदान के समय दिया जायेगा। ये पूर्णतः अंतिम सूचना एवं योगदान प्रक्रिया है। सामुदायिक समन्वयक के रूप में सेवा देने के प्रस्ताव पर इस पत्र के अनुसार, निश्चित तिथि एवं स्थान पर योगदान हेतु प्रस्तुत नहीं होने पर आपका चयन स्वतः रद्द समझा जाएगा। तदनुरूप प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों को मौका दिया जा सकता है।

शुभकामनाओं के साथ!

राज्य कार्यक्रम प्रबंधक—एच0आर0डी0